संख्या-125/2016/1373/41-2016-109 यो0/15

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

विषय- जनपद बस्ती के तहसील हरैया में पर्यटन स्थल मखौडा धाम के घाट के जीर्णोद्धार हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-655/6-1-1(605)/2016, दिनांक 03-08-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद बस्ती के तहसील हरैया में पर्यटन स्थल मखौडा धाम के घाट के जीर्णोद्धार हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, बस्ती से गठित आगणन रू0 89.75 लाख (रूपये नवासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) धनराशि की प्रशासकीय एवं रू0 44.87 लाख (रूपये चौवालीस लाख सत्तासी हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-29/2016/1563/41-2015-109 यो0/15, दिनांक 11.03.2016 द्वारा प्रदान की गयी है

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद बस्ती के तहसील हरैया में पर्यटन स्थल मखौडा धाम के घाट के जीर्णोद्धार हेतु अवशेष धनराशि रू0 44.88 लाख (रूपये चौवालीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे प्राप्त कर परीक्षण कराते हुए शासन एवं महालेखाकार इलाहाबाद को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रस्तर-3 में स्वीकृत धनरशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-125/2016/1373(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त/ जिलाधिकारी,बस्ती
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7।
6- उप निदेशक, पर्यटन, गोरखपुर।
7- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन, यूनिट-23, बस्ती ।
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in